



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222783
CG-DL-E-28102020-222783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942

No. 555]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

सं. 80/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 679(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 41/2020-केंद्रीय कर, तारीख 5 मई, 2020, जिसे सा.का.नि. 275(अ), दिनांक 5 मई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, "31 अक्टूबर 2020" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 दिसम्बर , 2020" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं.सीबीईसी- 20/06/09/2019 –जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना सं 41/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 05 मई 2020 , सा.का.नि. 275(अ) दिनांक 05 मई 2020 , के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं 69/ 2020 केन्द्रीय कर, दिनांक 30 सितंबर 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड ३, उपखंड (i) में सा.का.नि. 595(अ) दिनांक 30 सितंबर, 2020, के द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2020

No. 80 /2020 – Central Tax

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with rule 80 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 41/2020 - Central Tax, dated the 5th May, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 275(E), dated the 5th May, 2020, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and word “31st October, 2020”, the figures, letters and word “31st December, 2020” shall be substituted.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]
PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 41/2020 - Central Tax, dated the 5th May, 2020, was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 275(E), dated the 5th May, 2020 and was last amended *vide* notification No. 69/2020 – Central Tax dated the 30th September, 2020, published *vide* number G.S.R. 595 (E), dated the 30th September, 2020.